राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 963/2025

मुस्ताक अली

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (प्रशासनिक), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जल भवन–II, सिविल लाईन्स, जयपुर।
3. सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उप–संभाग, ओ एम, पीएमसी, सरदार शहर, चूरू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री जाखिर हुसैन, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, कैवियटर

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 15.01.2025 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को स्टोर मुंशी के पद पर उप–मंडल ओ एंड एम, पीएचईडी, सरदारशहर के कार्यालय से सिटी सब–डिवीजन सादुलपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसमें प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के स्टोर मुंशी के पद से ऐसे स्थानांतरण का कोई कारण बताए बिना स्थानांतरण आदेश पारित कर दिया है, और यह भी कि जब अपीलार्थी वर्क चार्ज कैडर पदों को निरस्त करने के बाद डाइंग–कैडर पद माना गया है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी को दिनांक 01.08.1987 को वर्क चार्ज रूल्स 1964 के तहत सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था और दो साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने के बाद उसे 01.08.

1989 को एक आदेश दिनांक 28.08.2006 द्वारा अर्ध–स्थायी घोषित किया गया था और अपीलार्थी को 10 साल की निरंतर सेवा पूरी करने पर दिनांक 31.07.1997 से प्रभावी दिनांक 14.10.1997 के आदेश द्वारा स्थायी घोषित किया गया था। (अनुलग्नक–2व3) अपीलार्थी अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से ही स्टोर मुंशी के कर्तव्यों का निर्वहन अपने वरिष्ठों की पूर्ण संतुष्टि के साथ कर रहा है। अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ, जोधपुर के समक्ष एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4285/2011 प्रस्तुत की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी ने डी.बी. विशेष अपील (डब्ल्यूआरआईटी) संख्या 933/2011 दायर की थी, जिसे निर्णय के अनुपालन में 12.02.2013 को स्वीकार कर लिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 31.07.2015 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 01.08.1989 से अर्ध–स्थायी रूप से स्टोर मुंशी घोषित किया, तब से अपीलार्थी अपने वरिष्ठों की पूर्ण संतुष्टि के साथ वर्तमान कार्यालय में स्टोर मुंशी के पद पर काम कर रहा है। वर्कचार्ज कैडर के अंतर्गत स्टोर मुंशी के पद पर घोषणा के लिए अपीलार्थी सहित पीएचईडी विभाग के विभिन्न कर्मचारियों द्वारा विभिन्न रिट याचिकाएं और अपीलें पेश की गई थीं, जिसमें राज्य ने अपना पक्ष रखा था कि अधिसूचना दिनांक 17.02.1995 और आदेश दिनांक 20.09.1995 के अनुसार, राजस्थान वर्कचार्ज नियम निरस्त कर दिए गए हैं और नियमित किए गए कर्मचारियों का पद उनकी सेवानिवृत्ति या मृत्यु या त्यागपत्र या ऐसे कर्मचारियों की सेवा समाप्ति पर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए, अपीलार्थी का पद डाइंग–कैडर का है और पद सहित उसका स्थानांतरण पूरी तरह से अवैध और कानून की नजर में गलत है। (अनुलग्नक–5 व 6) अपीलार्थी की जन्मतिथि 03.06.1966 है, तथा वह दिनांक 30.06.2026 को सेवानिवृत्त होने वाला है, तथा अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति पर उसका पद समाप्त हो जाएगा।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान ओ एंड एम उप–मंडल, पीएचईडी, सरदारशहर, चूरू के कार्यालय में ही निरंतर कार्यरत रखा जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से निवेदन किया कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर सक्षम स्तर से जारी किए जाने से अपील खारिज योग्य है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओ को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग में स्टोर मुंशी के पद पर उप–मंडल ओ एंड एम, पीएचईडी, सरदारशहर के कार्यालय में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण उप–मंडल ओ एंड एम, पीएचईडी, सरदारशहर के कार्यालय से सिटी सब–डिवीजन सादुलपुर में किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिले के भीतर ही किया गया है। इससे उसकी वरिष्ठता पर कोई

प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम इस आलौच्य आदेश में कोई नियम विरूद्धता एवं दुर्भावना नहीं पाते है।

अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने के आधार पर खारिज की जाकर स्थगन प्रार्थना पत्र इसी प्रक्रम पर निस्तारित किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)